IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सामाजिक न्याय का बदलता स्वरुप

Dr. S. K.YADAV

सारांशः— "आधुनिक समय मे न्याय शब्द की व्यापक अर्थो मे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रुप मे सम्मलित किया जाता है। सामाजिक न्याय का संबन्ध व्यक्ति के अधिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण के मध्य सन्तुलन स्थापित करने से है। सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित तथा विकसित करके जनसमुदाय के कल्याण की परिकल्पना करना है। जनसमुदाय समानता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं मे अनुप्रणित हुआ।इसी सन्दर्भ मे मोदी सरकार के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज मे सबका साथ सबका विकास के साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।"

आधुनिक समय में न्याय सम्बन्धी धारणा में एक अमूल चूल परिवर्तन हो गया है। ओर आज न्याय की वही स्थिति होती है जो विधि द्वारा निहित हो और इसका स्वाभाविक परिणाम यही हुआ कि न्याय का परम्परागत रुप अब अमान्य हो गया और इसका स्वरुप देशकाल के अनुसार परिवर्तनशील माना जाने लगा हैं।

आधुनिक समय मे न्याय शब्द की व्यापक अर्थो मे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रुप मे सम्मलित किया जाता है। सामाजिक न्याय का संबन्ध व्यक्ति के अधिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण के मध्य सन्तुलन स्थापित करने से है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय मनुष्य— मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्तर नही किया जाये ।प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो किसी भी व्यक्ति का किसी भी रुप मे शोषण न किया जाये और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो तथा आर्थिक सत्ता चन्द हाथों मे केन्द्रित न हो और समाज का कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न समझे।

सामाजिक न्याय का आदर्श एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित तथा विकसित करके जनसमुदाय के कल्याण की परिकल्पना करना है। जनसमुदाय समानता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं मे अनुप्रणित हो।

सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को परिभाषित करना सरल नही है। भारतीय सोपानात्मक वर्ण व्यवस्था मे आरक्षण के माध्यम से दलितोद्वार और पिछडे वर्गो को सामाजिक न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक सन्तुलन की विवशता एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई जिसने समाज को जोडने की अपेक्षा बाटने का काम किया। आरक्षण से समस्या घटी नही अपितु बढ़ी है। जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक सूझ—बुझ की कमी, जन भावना का आभाव, प्रतिबद्धता की कमी, आर्थिक लाभों की ललक, मिथ्या सर्वोपरिवक्ता की निहित पोषक प्रवृति कथनी और करनी मे बढ़ी खाई पैदा की।

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 ने भी जात पात का जमकर विरोध किया। डॉ अम्बेडकर के नेतृत्व मे दलितों के उद्धार का आन्दोलन चला। इस आन्दोलन का उद्देश्य दलित जातियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारना, उन्हे शिक्षित करना, संगठित करना और उनके लिये विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल करना और उन्हें इस आन्दोलन में सफलता भी मिली। परिणामस्वरुप समाज के दलित वर्ग संगठित होकर समानता के लिये लड़ने लगे।

भारत मे स्वतन्त्रा आन्दोलन के दौरान यह अनुभव किया कि केवल वैयाक्तिक स्वतन्त्रता तथा कानून के सन्मुख समानता से ही दलितो एवं पिछड़ी जातियों के लोगो को आर्थिक एंव राजनैतिक न्याय प्राप्त नही हो सकता। महात्मा गाँधी और अम्बेड़कर जैसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अनुसूचित जातियों एंव जनजातियों के लोगो की समस्याओं को उजागर किया और स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही इन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिये प्रयास किये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों मे हमेशा से सामाजिक असमर्थताओं और आर्थिक असुविधाओं से उत्पीडित रही है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की नीति के माध्यम से उन्हें शासन मे उनका न्यायोचित हिस्सा देकर शोषण के खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करके और उनके सामाजिक आथिक विकास को तेज करने के लिये ज्यादा और विशिष्ट आवंटन करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के योग्य बनाने के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये।

अमरीकी दार्शनिक **जॉन राॅल्स** ने अपनी पुस्तक **"थ्योरी ऑफ जस्टिस"** मे कहा है कि :—

1- प्रत्येक व्यक्ति के पास अत्यधिक व्यापक स्वतन्त्रता का समान अधिकार होना चाहिये जो दूसरो को उसी तरह की स्वतन्त्रता के विरुद्ध न हो।

2- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिये।

इस तरह जाॅन रॉल्स ने अपने विचारों से आगे बढते हुये स्पष्ट कहा है कि जब सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाये तो उन लोगों को पहले सुविधा दी जानी चाहिये।

कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का एक उपकरण माना। उसने असमानता के इस उपकरण को उखाड़ फैकने की बात कही थी।

18वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे लॉक और रुसो जैसे उदारवादियों दार्शनिको और समाज शास्त्रियों ने असमानता व शोषण पर ध्यान दिया और मानव—मानव की समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की स्थापना के लिये मार्गदर्शन दिया। जिसका परिणाम रुसो की राजनैतिक विचारधारा ने 1781 की फ्रांसीसी आन्दोलन के रुप में अभिव्यक्ति हुई जबकि मार्क्स के विचारो के कारण 1917 मे रुसी क्रान्ति और 1949 मे चीनी क्रान्ति हुई और 1848 मे साम्यवादी घोषणा पत्र ने विश्व के राजनैतिक मंच व सामाजिक जगत मे एक बड़ा भारी अमूल चूल परिवर्तन कर दिया।

भारत के सामाजिक न्याय की स्थापना का जो लक्ष्य स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान निर्धारित किया गया और उन्हें ध्यान में रखते हुये संविधान सभा मे संविधान की रचना की। और संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित भावी समाज की कल्पना की और उन्हें पूर्ण रुप देने के लिये संविधान में आवश्यक उपबन्ध और प्रावधान किया और भारतीय स्वतन्त्रता सेनानानियों ने जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की थी उसको भारतीय संविधान के अन्तर्गत साकार करना चाहते थे। क्योकि कानून ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक क्रान्ति संभव है। सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लक्ष्य को उस प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया जिसके शिल्पकार पंडित जवाहर लाल नेहरु थे।

भारत इस समय सामाजिक न्याय की एक जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसकी कीमत चुकानी होगी सदियों से वंचित शोषित रहे लोगो को देश मुख्य धारा ओर हाशिय पर रहे लोगों को देश मुख्य धारा मे लाने का उत्तरदायित्व भी राष्ट्र के नागरिको को ही निभाना है। क्योकि सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक है जिसके अन्तर्गत 'सामान्य हित' के मानक से सम्बन्धित सब कुछ समाहित हो जाता हैं जो अल्पसंख्यको के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन सभी पहलुओं को इंगित करता है।

यह न केवल कानून के समझ समानता के सिद्धान्त का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है, जैसा हम पश्चिमी देशों मे देखते है बल्कि इसका सम्बन्ध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे द्ररिदरता, बीमारी, बेकारी और भुखमरी आदि के दूर करने से भी है जिसका तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है।

इसके साथ ही इसका सम्बन्ध उन निहित स्वार्थों को समाप्त करने से है जो लोकहित को सिद्ध करने के मार्ग मे ओर यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष मे है। इस दृष्टिकोण से दुनिया के पिछडे ओर विकासशील देशों मे सामाजिक न्याय का आर्दश राज्य के लिये आवश्यक बना देता है कि वह समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के लिये ईमानदारी से प्रयास करे।

इसी सन्दर्भ मे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वपूर्ण कार्य किया जैसे गरीबों के लिये उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्रीमान धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाया है।

जिसमें नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाये और प्रत्येक व्यक्तियों के विकास का समुचित पूर्ण अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक न्याय की धारणा मे यही निष्कर्ष निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रुप मे शोषण न हो ओर उसके व्यक्तित्व को पवित्र सामाजिक न्याय की प्राप्ति का साधन मात्र न माना जाये। अपितु सामाजिक न्याय की व्यवस्था मे स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन के लिये आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस सन्दर्भ मे समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करे।

आज सरमाजिक न्याय की मांग है कि समाज सुविधाहीन वर्गों को अपनी सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर काबू पाने और अपने जीवन स्तर मे सुधार करने के योग्य बनाया जाये, जिससे समाज के गरीबी के स्तर से नीचे के सर्वाधिक सुविधाओं से वंचित वर्गों विशेष रुप से निर्धनो के बच्चो, महिलाओं सशक्त व्यक्तियों की सहायता की जाये और इस प्रकार शोषणहीन समाज की स्थापना की जाये। क्योकि बिना कमजोर वर्गों को ऊँचा उठाये बिना तथा निम्न वर्गों

ओर पिछड़े वर्गों का विकास किये बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो ओर आर्थिक सत्ता चन्द हाथों मे केन्द्रित न हो तथा कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न करे।

क्योकि सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग के लोगों मे जागृति उत्पन्न करने मे महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न की। भारत मे महात्मा गाँधी और डॉ भीमराव अम्बेडकर के विचारों ने सामाजिक न्याय की माँग पर जोर दिया और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने आजीवन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये संघर्ष करते रहे। और पूर्व प्रधानमंत्री नहेरु का मानवतावाद सामाजिक न्याय के विचार के ओत प्रोत या उनका समाजवादी दर्शन सामाजिक आर्थिक न्याय का ही प्रतिबिम्ब था उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लिये आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो ओर विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी तबके के लोगो को मिले। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन सब के लिये दृढ़ संकल्प बद्ध है।

सन्दर्भः—

1. अम्बेडकर, बी. आर. — 'जाति भेद उच्छेद'
2. प्रसाद, अनिरुद्ध,— 'आरक्षणः सामाजिक—पाप एंव राजनीतिक सन्तुलन
3. कश्यप सुभाष — संविधान की आत्मा
4. सिघंवी, लक्ष्मीमल — भारतीय संविधान नई चुनौतियाँ नये उत्तर
5. श्याम नन्द सिंह — रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज
6. सिंह डॉ रामगोपाल — 'सामाजिक न्याय एंव दलित संघर्ष'
7. भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट — सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली